निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 104 / 2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सीताराम पुत्र श्री नन्दा, जाति मीणा, निवासी ग्राम देवापुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर।
2. भगवानसहाय पुत्र नोन्दा
3. रामकुवार पुत्र नोन्दा
4. सुवालाल पुत्र नोन्दा

जाति मीणा, निवासी ग्राम देवापुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 231 / 2024 ब–उनवानी भगवानसहाय व अन्य बनाम कालू व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थित :–

1. श्री शुभम शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सचिन शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

कलक्टर जयपुर जिला

निर्णय दिनांक 26.08.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 231 / 2024 ब–उनवानी भगवानसहाय व अन्य बनाम कालू व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री सचिन शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय अस्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई जिससे व्यथित होकर प्रार्थी माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय मण्डल द्वारा दिनांक 23.10.2024 को पुनः रिमाण्ड कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रकरण पुनः रिमाण्ड होने के पश्चात विचारण न्यायालय से प्रार्थी को नोटिस प्राप्त हुआ तो प्रार्थी का पुत्र तहसील परिसर में अपने अधिवक्ता के पास गया तो उसने वहां अप्रार्थीगण संख्या 2 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बाहर निकलते हुये देखा एवं उसके पश्चात यह कहते हुये सुना

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

की उसकी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है एवं आगामी पेशी पर वह पत्रावली में अपने पक्ष में निर्णय करवा लेगा। दिनांक 12.12.2024 को प्रार्थी व उसका पुत्र तारीख पेशी पर गया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के पुत्र को कहा कि आज तो कोर्ट नहीं चलने के कारण फाईल में फेसला नही हो सका, लेकिन पत्रावली में छोटी तारीख पेशी डलवा कर फाईल में जैसा वह चाहेगा वैसा फैसला करवा लेगा। प्रार्थी व उसके पुत्र ने अप्रार्थी संख्या 2 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में कई बार अन्दर बाहर आते जाते देखा। पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव में आकर पत्रावली में निर्णय पारित करेगी। प्रार्थी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को न्याय प्राप्त नही हो सकता है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार एवं नजदीक–नजदीक तारीख पेशी दी जाने पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर बस्सी, जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर